प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 16.10.2024

- **अपराधियों के विरुद्ध कानपुर देहात पुलिस द्वारा की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **गौवंशों का क्रूरता पूर्वक परिवहन करने का अपराध कारित करने में प्रकाश में आये 01 नफर अभियुक्त को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रसूलाबाद क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रसूलाबाद में दिनांक 09.10.2024 को ट्रक नम्बर UP22T7322 के अन्दर 13 सांड व 02 गाय (कुल 15 पशु) रस्सियों से बंधे पाये गये थे, जिन्हे पीड़ा व यातना के अधीन रखा गया था। जिसके सम्बन्ध में उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-428/2024 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त राजू पुत्र स्व0 बिहारी बंजारा निवासी ग्राम कलम का कुँआ केवलनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना रानपुर, जनपद कोटा (राजस्थान) को रसूलाबाद झींझक मार्ग पर मयंक ढाबा के पास बम्बा मोड़ से आज दिनांक 16.10.2024 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजू पुत्र स्व0 बिहारी बंजारा निवासी ग्राम कलम का कुँआ केवलनगर कच्ची बस्ती कोटा थाना रानपुर जनपद कोटा (राजस्थान)।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 428/2024 धारा 11(1)(d) पशु क्रूरता अधिनियम व धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रसूलाबाद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0- 18/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना शिवली कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0- 24/2023 धारा 307 भा0द0वि0 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0- 25/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0- 50/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अमित पोरवाल
2. हे0का0 662 रामाधार
3. का0 153 अखिलेश कुमार